फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी श्री विजयसिंह बनाम विपक्षी श्री राज्य सरकार तहसीलदार कानोड व अन्य

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या 91/24

कार्यवाही विवरण

क्रमांक

दिनांक 04.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 4 की तामिल विपक्षी संख्या 2 सन्दुभान सिंह जी ने प्राप्त की जो विपक्षी संख्या 4 के काका है व विपक्षी संख्या 5 की तामिल विपक्षी संख्या 2 ने प्राप्त की जो विपक्षी संख्या 5 के काका है व विपक्षी संख्या 6 की तामिल विपक्षी संख्या 2 ने प्राप्त की जो विपक्षी संख्या 6 के देवर है जिसका विपक्षी संख्या 4, 5, 6 की तामिल माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण पत्थरगढ़ी से संबंधित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी संख्या 4, 5, 6 की तामिल मानी जाती है। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 से 17 अनुपस्थित है। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2 से 17 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 1 के जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार परिशिष्ट (क) की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी एक मात्र खातेदार है व परिशिष्ट (ख) की भूमि में सहखातेदार है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य सीमा सबंधी विवाद होते रहते है। प्रार्थी अपनी भूमि में तारबंदी कर भूमि का विकास करना चाहता है जिससे प्रकरण में पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार है। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। पत्थरगढ़ी किये जाने से प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा लूणदा पटवार हल्का लूणदा, तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की परिशिष्ट (क) खाता संख्या नया 163 की आराजी न 659, 660, 661, 662, 663, 667, 961, 963, 964, 965 किता 10 रकबा 4.9200 है भूमि व परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 213 की आराजी संख्या 1357/658, 658 किता 2 रकबा 2.4300 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible]। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेंगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:18:19 IST
Reason: SelfAttested